

पंचा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -326/2022

अनदान :

भोमाराम पुत्र श्री मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

सनाम

1. बृजलाल पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. प्रदीप पुत्र बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. मंजू पत्नी स्व० मेनपाल वर्तमान में करेवा शुदा पत्नी प्रदीप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. हिमान्शी पुत्री मेनपाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मंजू पत्नी स्व० मेनपाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. राजन पुत्र मेनपाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मंजू पत्नी स्व० मेनपाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री कुन्दनलाल :-वादी

2 अधिवक्ता श्री विकास शर्मा :-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 16/01/25




आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष दकील वादी श्री कुन्दन लाल व विकास शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया गया है।  
प्रजापति घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल के नाम से तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक 5 डीवीएल जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 11/16 में अंकित कुल 1.518 है० भूमि में से 1/33 हिस्सा अर्थात् 0.046 है० तथा चक नं० 6 डीवीएल जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 17/29 में अंकित कुल 5.048 है० भूमि में से 153/5048 हिस्सा अर्थात् 0.153 है० तथा चक नं० 7 डीवीएल जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 27/43 में अंकित कुल 3.213 है० भूमि में से

97/3213 हिस्सा अर्थात् 0.097 है० भूमि इस प्रकार तीनों चकों में कुल 0.296 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 5 डीवीएल के खाता सं० 11/16, चक नं० 6 डीवीएल के खाता सं० 17/29 तथा चक नं० 7 डीवीएल के खाता सं० 27/43 में से प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किराी राक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(सहायक कलक्टर एवं A.S.)  
उपरखण्ड अधिकारी एवं  
पट्टेपत्र अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी